वनभूमि के मांग का औचित्य

परियोजना का नाम:— जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज—8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रॉक 1510/पी0—1—19 यू०आर०आर०डी०ए०/10 दि० 5—10—2011 द्वारा 21.000 कि.मी. लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है। इस मार्ग का निर्माण कार्य कुलियाल गाँव साल मोटर मार्ग के कि.मी. 15.000 (टांण मल्ला) से प्रस्तावित किया गया था। प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत द्वारा सूखीडांग डाडामीनार मोटर मार्ग का समरेखन भी प्रस्तावित मोटर मार्ग से ही किया गया है। जिस कारण इस मार्ग का समरेखन सूखीडांग डाडामीनार मोटर मार्ग के कि. मी. 26.000 से प्रारम्भ किया गया, जिस कारण इस स्थल पर 0.000 चै० मानी गयी (1:50000 के पैमाने के मानचित्र में दर्शाया गया है)। इस मार्ग में आरक्षितभूमि सिविल, नापभूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम डाडा काफी नीचे बसा होने के कारण मार्ग में हियरपिन बैण्ड दिये गये हैं। इस क्षेत्र में अभी तक कोई. भी मोटर मार्ग न होने के कारण क्षेत्र की उपज का उचित मूल्य कास्तकारों को नहीं मिल पाता है। क्षेत्र की कुल आबादी 1057 है।

इस क्षेत्र में बसे ग्रामवासियों की दूरी सूखीडाँग तक लगभग 30 कि.मी. पड़ती है। अन्य कोई वैकल्पिक भूमि न मिलने के कारण आरक्षित भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आरक्षित भूमि के बीच में उक्त ग्राम बसे हुये है।

उपरोक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्राम ककनई, डाडामल्ला, कठौती दुर्गापीपल, लोहारजूला एवं छोटे—छोटे तोक आदि को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही ग्रामवासियों की स्थानीय उपज, साग—सब्जी फलोत्पादन को उचित भूमि प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मोटर मार्ग के बनने से ग्रामवासियों का सीधा सम्पर्क जनपद, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय एवं रेलहैंड से हो जायेगा। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग सेना में कार्यरत हैं, मार्ग बनने के बाद इन लोगों को यातयात की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

7.6.

सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावन

आधिशासी अभियन्ता, सिंठखः, लोठनिऽविठ पीठआई०यूः,पीठएमठजीठएसठवाई० चम्पावन

Justification for locating the project in forest area

Presently the villagers of Kaknai ,Danda Malla with the population 500, 226 have to walk through a distance of 8 to 9 km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existence of any road connectivity the life of the villagers is in constant danger due to absence of medical services which could not be provided to them even in case of emergency such as maternity.

Further due to non-existence of the road connectivity the area remains backward in all respects, the main occupation of the villagers is animal husbandry and agriculture. Villagers are forced to carry their cultivated crop on their feet or by mules to the nearby market.

If the road connectivity is provided to the villagers, it shall enhance the social and economic development of this area and minimize the migration of the people from the village. The forest land falling in the proposed alignment of the road is 9.140 ha area and has been served to the minimum of trees felling. Other than the proposed alignment for the road there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of trees. Forest land is required for this road as proper gradient was not being achieved through Nap/Civil land. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 m in Forest land, 9.00 m in Nap land. The construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 m in straight reaches. The geological investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that proposed alignment for the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/ monuments of legendary places falling in proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the forest land area of 9.140 ha may kindly by diverted for the construction of the road.

सहायक अमियन्ता सिंटाई खण्ड, लो०नि०वि० अविद्यासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड (लोजनेजविक)